



झारखण्ड सरकार

आदिवासी कल्याण आयुक्त का कार्यालय, झारखण्ड मंत्रालय, धुर्वा, राँची ।

पत्रांक- 03/छात्रवृत्ति विज्ञापन-01/2016.....2184

प्रेषक,

गौरीशंकर मिंज, भा0प्र0से0
आदिवासी कल्याण आयुक्त ।

सेवा में,

निदेशक,
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग,
झारखण्ड, राँची ।

राँची, दिनांक 20/12/16

विषय : - विज्ञापन प्रकाशन के सम्बन्ध में ।

महाषय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि कल्याण विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 में प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति हेतु आवेदन प्राप्त करने से सम्बन्धित सूचना के प्रकाशन हेतु विज्ञापन सामग्री तैयार की गई है ।

अतः अनुरोध है कि उक्त विज्ञापन को झारखण्ड से प्रकाशित होनेवाले सभी दैनिक समाचार पत्रों (हिन्दी एवं अंग्रेजी) में एवं राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्रों (हिन्दी एवं अंग्रेजी) में प्रकाशित करने की कृपा की जाय ।

अनुलग्नक: यथोक्त ।

विश्वासभाजन,

आदिवासी कल्याण आयुक्त ।

ज्ञापांक: 2184

राँची, दिनांक : 20/12/16

प्रतिलिपि : सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस, हैदराबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

आदिवासी कल्याण आयुक्त ।

ज्ञापांक: 2184

राँची, दिनांक : 20/12/16

प्रतिलिपि : सरकार के सचिव, कल्याण विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची को सूचनार्थ प्रेषित ।

आदिवासी कल्याण आयुक्त ।



झारखण्ड सरकार

आदिवासी कल्याण आयुक्त कार्यालय, झारखण्ड मंत्रालय, धुर्वा, राँची।


**प्रवेशिकोत्तर पाठयक्रमों में अध्ययनरत अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ी जाति के छात्र/छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति योजना वर्ष 2016-17 हेतु आवेदन से सम्बन्धित आवश्यक सूचना
(P.R. No. 149114)**

पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ी जाति के छात्र/छात्राओं को सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष-2016-17 में पूर्व में प्रकाशित विज्ञापन (P.R. No.149114) के क्रम में पूर्व से निर्धारित तिथि को संशोधित करते हुए निम्न प्रकार से विस्तारित किया जाता है।

1. ऑनलाईन आवेदन की समय सीमा:-

क्र०	विवरणी	पूर्व से निर्धारित तिथि	संशोधित एवं विस्तारित तिथि
1	छात्र-छात्राओं द्वारा ऑनलाईन आवेदन करने की विस्तारित तिथि	22 nd December 2016	5 th January 2017
2	संस्थान द्वारा आवेदनों का प्रमाणीकरण एवं अग्रसारण की अंतिम तिथि	24 th December 2016	7 th January 2017

पूर्व में प्रकाशित विज्ञापन के अनुसार शेष दिशा निर्देश (Website-ekalyan.cgg.gov.in पर उपलब्ध है) यथावत रहेगा।


20.12.16
आदिवासी कल्याण आयुक्त।